



द बगि पक्किचर: 'स्वामित्व' योजना के तहत ई-संपत्तिकांरड का वतिरण

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से [राष्ट्रीय पंचायती राज दक्विस](#) पर ['स्वामित्व' योजना](#) के तहत ई-संपत्तिकांरड के वतिरण की शुरुआत की है।

प्रमुख बडि

- **ई-संपत्तिकांरड का वतिरण:** इस अवसर पर 4.09 लाख संपत्तिकांरड को उनके ई-संपत्तिकांरड दधि जाएंगे, जसके साथ ही देश भर में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत हो जाएगी।
- **कवरेज:** इस योजना में 2021-2025 के दौरान पूरे देश में लगभग 6.62 लाख गाँवों को शामिल कधिया जाएगा।
 - यह योजना बना सखेकषण वाले अबादी कषेत्रों (Un-surveyed Abadi Areas) के लधिय है। यह सखेकषण कधिय गए ऐसे कषेत्रों में भी लागू होता है, जहाँ गुजरात, तमलिनाडु और ओडशिया जैसे राज्य पहले के रकॉर्ड को बदलने के तैयार हैं।
 - **ड्रोन सखेकषण:** इस योजना को वर्तमान में लगभग 50,000 गाँवों में लागू कधिया गया है, जसमें से लगभग 32000 गाँवों में ड्रोन की सखेकषण पूरी हो चुकी है और लगभग 29000 गाँवों में ड्रोन डेटा को संसाधति कधिया गया है।
- **MoU पर हस्ताकषर:** राज्यों से अनुरोध कधिया गया है कधिये भारत के सखेकषण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताकषर करें और जहाँ भी आवश्यक हो कानूनों में परिवर्तन करें।
 - आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ने अपने समझौता ज्ञापन पर हस्ताकषर कधिये हैं।
- **पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों और छठे अनुसूचति कषेत्रों के लधिय:** पूर्वोत्तर राज्यों और अनुसूचति कषेत्रों के लधिय संपत्तिकांरड के स्वामित्व पैटरन अलग हो सकते हैं।
 - इन कषेत्रों में बसतधियों के लधिय खंड (Pockets) मलिने चाहधिये और यदयि पूरे कषेत्र में इन बसतधियों का अनुपात परमिण के समान क्रम का है जैसा कधिये अन्य राज्यों में पूरे कषेत्र के आबादी कषेत्रों के लधिय है तो उनकी आवश्यकताओं को अनुकूल बनाने के लधिय समझौता ज्ञापन को संशोधति कधिया जाएगा।

स्वामित्व (SVAMITVA) योजना

स्वामित्व योजना के बारे में:

- यह एक केंद्रीय कषेत्र की योजना है जसका उद्देश्य "गाँव में बसे हुए ग्रामीण कषेत्रों में घरों में रहने वाले और संपत्तिकांरड को संपत्तिकांरड जारी करना" है।

कवरेज:

- इस योजना के पायलट चरण को महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरधियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और पंजाब व राजस्थान के चुनधिये गांवों में वर्ष 2020-21 के दौरान लागू कधिया गया था।

संपत्तिकांरड के लधिय नामावली:

- संपत्तिकांरड के लधिय अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम दधिये गए हैं। उदाहरण के लधिय हरधियाणा में 'टाइटल डीड' (Title Deed), 'कर्नाटक में रूरल प्रॉपर्टी ओनरशप रिकॉर्ड्स' (Rural Property Ownership Records- RPOR), मध्य प्रदेश में 'अधकार अभलिख' (Adhikar Abhilekh), महाराष्ट्र में 'सनद' (Sannad), उत्तराखंड में 'स्वामित्व अभलिख' (Svमित्वा Abhilekh) तथा उत्तर प्रदेश में 'घराुनी' (Gharauni)।

ड्रोन और कोर:

- यह ड्रोन तकनीक और सतत् संचालन संदर्भ प्रणाली (Continuous Operating Reference System- CORS) का उपयोग करते हुए ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में भूमि पारसल (Land Parcels) का नक्शा और प्रत्येक गाँव के लिये GIS आधारित नक्शे तैयार करेगा।
- अब नई मानचित्र नीति के साथ डेटा भारतीय संस्थाओं हेतु उपयोग करने के लिये स्वतंत्र है।

स्वामित्व ई-संपत्ति कार्ड की प्रक्रिया

- एक संपत्ति कार्ड बनाने की बहु-चरणीय प्रक्रिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Sol) और संबंधित राज्य सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने के साथ शुरू होती है।
- एक बार समझौता ज्ञापन हो जाने के बाद एक सतत् संचालन संदर्भ प्रणाली (CORS) नेटवर्क स्थापित किया जाता है, जो जमीनी नयित्त्रण बट्टियों को स्थापित करने में सहायता करता है, जो कि सटीक भू-संदर्भ के लिये एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।
- इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण किये जाने वाले गाँवों की पहचान करना और इस प्रक्रिया में गाँव के आबादी क्षेत्र (आवासीय क्षेत्र) का सीमांकन किया जाता है।
 - ड्रोन का उपयोग ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के मानचित्रण के लिये किया जाता है, ड्रोन से प्राप्त हुई छवियों के आधार पर, 1:500 पैमाने पर एक GIS डेटाबेस, और ग्राम मानचित्र तैयार किये जाते हैं।
- इसके अलावा जाँच/आपत्ति प्रक्रिया और विवाद समाधान पूरा हो जाता है जिसके बाद अंतिम संपत्ति कार्ड उत्पन्न होते हैं।
 - ये कार्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या गाँव के घर के मालिकों को हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध हैं।

योजना के लाभ

- **केंद्र-राज्य सहयोग:** यह एक सरकारी मॉडल है जिसका अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में अनुकरण किये जाने की आवश्यकता है।
 - मॉडल में एक संरचना है जो केंद्र नोडल प्राधिकरण होने की ज़िम्मेदारी लेता है और फरि राज्य सरकारों के राजस्व विभागों के साथ परामर्श करने के बाद राज्य पंचायती राज विभागों (State Panchayati Raj Depts) की मदद लेता है।
- **स्पिन-ऑफ लाभ:** इस तरह के भूमि रिकॉर्ड संकलन में संपत्ति कर संग्रह के संदर्भ में कई नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिये एक 'स्पिन-ऑफ' लाभ (Spin-off Benefits) दिखाई देगा क्योंकि संपत्ति कार्ड का उपयोग उसी प्रमुख वित्तीय लाभ को निर्धारित करने के लिये किया जाएगा।
- **वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में संपत्ति:** यह ग्रामीणों द्वारा ऋण और अन्य वित्तीय लाभों का लाभ उठाने के लिये संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करता है।
- **भूमि रिकॉर्ड और योजना:** यह भी बदलने के लिये निर्धारित किया जाता है कि पूरे देश में भूमि रिकॉर्ड कैसे बनाए रखा जाता है।
 - यह पूरे परदृश्य को नए सारे से तैयार करने के प्रस्तावों के लिये लोगों को एक सटीक मानचित्र प्रदान करेगा।

चुनौतियाँ

- **डेटा तक पहुँच:** एकत्र किये गए डेटा को किस हद तक सरकार और राज्य विभागों की विभिन्न परतों के साथ साझा किया जाएगा।
 - किस हद तक डेटा का मुद्रिकरण किया जाएगा या उसका मुद्रिकरण किया जाना चाहिये।
 - नज़ी क्षेत्र की कंपनियों जो नगिरानी और डेटा संग्रह के लिये ड्रोन पेश कर रही हैं, क्या यह डेटा इन कंपनियों के साथ भी साझा किया जाएगा या नहीं।
- **डेटा सुरक्षा:** एक देश के रूप भारत अभी भी एक उचित विश्वसनीय और आसान डेटा संरक्षण कानून बनाने से दूर है और इस तरह के कानून के बिना डेटा का संग्रह और इसका दुरुपयोग हमेशा इस तरह की महत्वाकांक्षी योजना के लिये चुनौती बना रहेगा।
- **अनुमानित समय के भीतर नगिरानी के तहत अधिकतम गाँवों को लाना:** गाँवों को नगिरानी में लाने का मुद्दा एक चुनौती है क्योंकि एक नश्चिति बट्टि के बाद गाँवों को कवरेज करने की गति को बढ़ाया नहीं जा सकता है।
 - इसके अलावा विभिन्न स्थानों में अलग-अलग कार्य और नियम हैं और नोटिस की अवधि उत्तराखंड में न्यूनतम 10 दिनों से लेकर पंजाब के लिये अधिकतम 9 महीने तक होती है।

आगे की राह

- **राज्यों की भूमिका:** डेटा पर संपूर्ण अधिकार राज्य का होने जा रहा है और डेटा का कोई केंद्रीकरण नहीं होगा तथा राज्य सभी संबंधित सूचनाओं का भंडार होगा।
 - राज्य का वषिय होने के नाते डेटा को राज्यों की कल्याणकारी नीतियों में प्रयोग करना चाहिये।
- **प्रभावी कार्यान्वयन:** पूरे देश में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर एक अवभाजित ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
 - सर्वेक्षण के बुनियादी ढाँचे का निर्माण और GIS मानचित्र, जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा उनके उपयोग के लिये किया जा सकता है, सफल कार्यान्वयन की कुंजी होने जा रहा है।
- **अन्य क्षेत्रों को लाभ:** इस योजना के कारण ड्रोन उद्योग को भी बढ़ावा मिला है क्योंकि इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिये 2000 ड्रोन की आवश्यकता होगी।
 - इससे रोजगार क्षेत्र को भी बढ़ावा मलिया क्योंकि ड्रोन पायलटों की आवश्यकता होगी और टीम आधारित अन्य कार्यों के लिये भी मानव संसाधन की आवश्यकता होगी।

नष्कर्ष

इस योजना से गाँव के परिवारों, ग्राम पंचायतों, राज्यों और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को अत्यधिक लाभ मलगा , इसके ललये एक समरुपति केंद्र-राज्य सहयोग कलया जाए और यह योजना पूरे देश में प्रभावी ढंग से लागू हो ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/the-big-picture-distribution-of-e-property-cards-under-swamitva-scheme>

